



# चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार



## कार्यालय— चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

### उत्तर प्रदेश खाण्डसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 के खंड 3

लाइसेंस संख्या: Meerut/KLO/2019-20/RA-9042

दिनांक: 18/09/2020

श्री / सर्व श्री: AJAI KUMAR RASTOGI

आत्मज : LATE SHRI. BHUPNDRA KUMAR

यदि प्रबंध भागीदार है तो उनका नाम : MR. SHREYES RASTOGI

फर्म का नाम : RURBAN INTERCORP LLP

गांव / कस्बा: C-292, 2nd FLOOR,  
DEFENCE COLONY डाकघर: LAJPAT NAGAR जिला: SOUTH DELHI

के निवासी को गांव / कस्बा: BADKA ARIFPUR, KHASRA NO. 162 डाकघर: MURADNAGAR

पुलिस स्टेशन: MASURI जिला GHAZIABAD

में खाण्डसारी शक्कर में परिणत करने के लिये खाण्डसारी शक्कर व राब—बनाने के निमित निम्नलिखित अर्थात्—

(क) 1 PC, 25.5 CM X 30.5 CM, 3 ROLLER, NON-HYDRAULIC, NON-SULPHUR, 3 BHATTI ROHILKHAND TYPE

के आकार का शक्ति चालित कोल्हू

(ख) 3 BHATTI ROHILKHAND TYPE

बैल, पशुओं द्वारा चलायी जाने वाली कोल्हूओं सहित,

(ग) 1 PDC

शक्ति चालित केन्द्रापग,

(घ) NA

हस्त चालित केन्द्रापग,

को चलाने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है—

- लाइसेंस असंक्रमणीय होगा ।
- लाइसेंसधारक शक्ति चालित कोल्हू बैल या केन्द्रापग का प्रयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये करेगा, जिसके लिये लाइसेंस जारी किया गया हो ।
- लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस लाइसेंस के अनुज्ञा के बिना इस लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले शक्ति चालित कोल्हू बैल या केन्द्रापग को क्षमता, संख्या और आकार में या उसको स्थित में कोई भी विस्तार, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा ।
- यदि लाइसेंसधारी शक्ति चालित कोल्हू या खाण्डसारी इकाई की किसी अन्य व्यक्ति अन्य व्यक्ति को निस्तारित कर दे तो लाइसेंसधारी इस लेन—देन की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी और क्षेत्र के खाण्डसारी अधिकारी को ऐसे हस्तान्तरण के एक सप्ताह के भीतर देगा ।
- लाइसेंसधारी पेरे गये गन्ने की मात्रा, खाण्डसारी शक्कर या खाण्डसारी शक्कर में परिणत किये जाने के लिये तैयार की गई राब को मात्रा और स्टोर में रखी गई या बाहर भेजी गई बनी हुई खाण्डसारी शक्कर या राब की मात्रा का दैनिक लेखा रखेगा ।
- लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी, खाण्डसारी प्राधिकारी या लाइसेंस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को निरीक्षण के प्रयोजन के लिये ऐसे समस्त भू—गृहादि में, जहां लाइसेंस के प्रधीन खाण्डसारी शक्कर या राब के उत्पादन से सम्बद्ध कोई भी प्रक्रिया को जाती हो तत्काल प्रवेश करने की अनुमति देगा तथा बिना पूर्व सूचना के मांग को जाने पर निरीक्षण तथा परोक्षण के लिये ऐसे समस्त अभिलेखों की जिन्हें रखने का उससे अपेक्षा की गयी हो। प्रस्तुत करने के लिये भी वाध्य होगा ।
- लाइसेंसधारी कोई भी गन्ना वास्तविक तथा शुद्ध तौल के बिना नहीं खरीदेगा और उसका यथोचित अभिलेख रखेगा ।
- लाइसेंसधारी किन्हीं शर्तों या आज्ञा का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा। निलम्बित लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले शक्ति चालित कोल्हू बेलों तथा केन्द्रापगों को तब तक फिर से चालू न किया जायेगा, जब तक की निलम्बन आज्ञा वापस न ले ली जाये ।
- लाइसेंसधारी इस आज्ञा के उपबन्धों का पालन करेगा और लाइसेंस प्राधिकारी खाण्डसारी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे अनुदेशों का भी पालन करेगा जो इस आज्ञा के प्रयोजन की कार्यान्वयित करने के लिये समय—समय पर जारी किये जायें ।
- लाइसेंस को 6 साल या विनिश्चय समय के लिये अनुमति दी जाती है। जो समय—समय पर निश्चय किया जायेगा।

Digitally  
signed by  
Shiv Sahay  
Awasthi

अपर चीनी आयुक्त / प्राधिकृत हस्ताक्षरी

लखनऊ, उत्तर प्रदेश



चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रपत्र संख्या 2

सुरक्षित क्षेत्र से गन्ना या गन्ने का रस क्रय करने के लिये अनुज्ञा-पत्र

अनुज्ञा पत्र संख्या

P/ 9042

दिनांक

18/09/2020

श्री / सर्वश्री

AJAI KUMAR RASTOGI

पिता का नाम

LATE SHRI. BHUPNDRA KUMAR

फर्म का नाम

RURBAN INTERCORP LLP

ग्राम / कस्बा

BADKA ARIFPUR, KHASRA NO. 162

डाकघर

MURADNAGAR

जिला GHAZIABAD

का एतद्वारा केवल अपनी इकाई भूगृहादि पर अधिकतम

किवन्टल गन्ना /

गन्ने का रस खरीदने के लिये शक्कर की फैक्टरी

के सुरक्षित क्षेत्र में 06 साल या विनिश्चत समय के बीच अनुमति दी जाती है। \*

✓ Digitally  
signed by  
Shiv Sahay  
Awasthi

अपर चीनी आयुक्त / प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

अनुज्ञा-पत्र की शर्तें

1. अनुज्ञा-पत्र का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता और अनुज्ञा-पत्र धारी, उसके अभिकर्ता(एजेन्ट) या कर्मचारी के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति इस अनुज्ञा-पत्र के अधीन गन्ना अथवा गन्ने का रस क्रय नहीं कर सकेगा।

2. अनुज्ञा पत्रधारी अनुज्ञा-पत्र में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक गन्ना व गन्ने के रस का क्रय न करेगा।

\* नोट—जो समय-समय पर निश्चित किया जायेगा।